identified by the WHO could potentially result in countless deaths and innumerable illnesses. सर, यह तो लोगों के जीवन से खिलवाड़ हो रहा है। It is my submission that the Ministry of Health and Family Welfare should give priority/attention to this issue and set up some effective over-sight mechanism so as to ensure compliance by all States in the wider public interest.

SHRI RANVIJAY SINGH JUDEV (Chhattisgarh): Sir, I associate myself with the issue raised by the hon. Member.

Issues relating to SC/ST undertrials

श्री पी.एल. पुनिया (उत्तर प्रदेश): सभापति जी, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, जो अनुसूचित जाति/जनजाति के विचाराधीन कैदियों की संख्या से सम्बन्धित है। भारत में SC/ST की आबादी लगभग 25 परसेंट है, लेकिन इस वर्ग के जो लोग जेलों में बंद हैं, उनकी संख्या 34 परसेंट से ज्यादा है। असम, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे राज्यों में स्थिति और भी गम्भीर है। अकेले तमिलनाडु में जहाँ इन समुदायों की आबादी 24 परसेंट है, वहाँ 38 परसेंट विचाराधीन कैदी हैं। दलित और आदिवासियों के विरुद्ध आई उत्पीड़न की शिकायतों पर कार्यवाही होती नहीं, उलटा उत्पीड़न करने वाले दबंग लोग ही अपने बचाव में उन गरीब लोगों के खिलाफ केस दर्ज करा देते हैं, यानी तत्परता से कार्यवाही करके, इन्हें ही अपराधी घोषित करने के लिए थाने में रिपोर्ट दर्ज हो जाती है। उन गरीब लोगों को न ही थाने में और न ही न्यायालय में सहायता मिलती है। गरीब होने के कारण दलित और आदिवासियों की सही पैरवी भी नहीं हो पाती, जिसके कारण कई सालों तक वे जेल में रहने के लिए विवश रहते हैं। न्यायालय से ज़मानत मंजूर होने पर भी अनेक मामलों में जमीनधारी, जिसके पास लेंडेड प्रॉपर्टी होती है, वे ज़मानतदार न मिलने के कारण जेल में ही बने रहने को मजबूर हो जाते हैं। अत: आपके माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि अदालत में बड़ी संख्या में लम्बित मामलों की समीक्षा करके, उनके निस्तारण के लिए एक समयबद्ध और ठोस कार्य-योजना बनाई जाए। The Scheduled Caste and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act में ऐसे लोगों के लिए स्पैशल कोर्ट्स का प्रावधान है, तो इन स्पैशल कोर्ट्स की संख्या बढ़ाई जाए और दलितों एवं आदिवासियों के लिए पुलिस थानों से लेकर न्यायालयों तक सरकारी पैरवी की सुविधा सुनिश्चित की जाए, धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: Puniaji, SC and ST atrocities case is different. What you intend to raise is relating to SC and ST under-trials in other cases. तो आपने उसके लिए उपाय नहीं बताया। उनके लिए तो स्पैशल कोर्ट्स होते हैं, murder case is a murder case and chori case is chori case.

श्री पी.एल. पुनिया: सर, मैंने बताया है कि इसकी समीक्षा की जाए और स्पैशल कोर्ट्स की संख्या बढ़ाई जाए। The Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act में इनके लिए exclusive courts का प्रावधान है, लेकिन बहुत राज्यों में

इसका पालन नहीं हो रहा है।

श्री सभापति: नहीं, आप अनुभवी हैं, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं और यह विषय महत्वपूर्ण भी है। The SC and ST atrocities cases are different. There are special courts to deal with them. What I understood from your submission is about the under-trials in other cases belonging to these sections. Is it so?

SHRI P.L. PUNIA: Yes, Sir.

श्री सभापति: फिर इनके लिए क्या उपाय है, आपने कोई उपाय नहीं बताया। आपने एससी/एसटीज़ के बारे में कहा कि उनके लिए स्पैशल कोर्ट्स होने चाहिए।

श्री पी.एल. पुनिया: सर, manipulation करके, ज़बरदस्ती उनको झूठे केसेज़ में फंसाया जाता है, यह मैंने अपने उल्लेख में बताया है। जिनके खिलाफ वे शिकायत करते हैं, वे ही manipulation करके उन्हीं के खिलाफ शिकायत दर्ज कर देते हैं।

MR. CHAIRMAN: Those cases are different. लेकिन जो नॉर्मल केस होते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आप बैठ जाइए।

श्री पी.एल. पुनिया: सर, एससी/एसटीज़ के लोग अपराधी नहीं हैं, वे गरीब हैं, इसी कारण उनका ज्यादा उत्पीड़न होता है।

श्री सभापति: ठीक है, आपने यह विषय नहीं बताया था। I thought, in the public interest, there should be clarity.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I associate myself with the Zero Hour submission of the hon. Member.

Grant of new mining leases to the Indian Rare Earths Limited (IREL), Tamil Nadu

SHRI A. VIJAYAKUMAR (Tamil Nadu): Thank you Mr. Chairman, Sir, for giving me this opportunity to raise an important matter.

Sir, Indian Rare Earths Limited is located in Manavalakurichi in Tamil Nadu. It is a Government of India undertaking. The beach sand deposits were discovered by a German scientist in 1908 and I.R.E.L. was established in Manavalakurichi.

The I.R.E.L. has been carrying out mining of beach sand minerals and separation of minerals *viz.* Limonite, Rutile, Zircon, Garnet, Sillimanite and Monazite. In India, 1,000 million tons of beach sand mineral is available and out of this approximately 25 per cent of deposits is available in Tamil Nadu. The production capacity of I.R.E.L. is nearly 30-40 per cent. It is using this raw material for more than 10 years